राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घीसा बनाम बद्री हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1954/2025	
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/03/2026 को पेश हो।	
23/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि पूर्व में उक्त वाद को मृतक घीसा व हरफुल द्वारा ही पैरवी की जा रही थी तथा हरफुल तथा घीसा की मृत्यू के उपरान्त उक्त वाद में एक पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो बिना अपीलान्ट व घीसा व हरफुल के वारिसान की जानकारी के ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया अभी दिनांक 13-10-2025 को रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट की भूमि में जबरन कब्जा करने एवं विक्रय की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा अपने पूर्व अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया गया जिन्होने प्रकरण का निस्तारण दिनांक 03-12-2014 को होने का कथन किया। जिस पर अपीलान्टस को अत्यन्त आर्चय हुआ तथा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतू आवेदनकर दिनांक 15-10-2025 को किया जिस पर अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 16-10-2025 को प्राप्त हुई तत्श्चात् दीपावली की छुट्टी होने से एंव अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी राय व सलाह लेकर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। उक्त अपील पेश करने में हुई देरी जानबुझकर नही होकर मात्र जानकारी के अभाव में हुई जिसे साफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश की है | अत: अपील प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ़ किया जाकर अपील को जानकारी की तिथि से नदर मियाद शुमार किये जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो. संख्या 7/2 व 8 की और से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 5 मियाद अधिनियम मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा वाद संख्या 20/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, उक्त वाद अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती देते हुये घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि राजस्थान जोत (समेकन खण्डकरण निवारण) अधिनियम Rajasthan Holdings	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घीसा बनाम बद्री हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1954/2025	

(consolidation and prevention of fragmentation) Act 1954 के आधार पर एकीकरण कार्यवाही समाप्ति के पश्चात एकीकरण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा के दावे से चुनौती नही दी जा सकती है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकीकरण की कार्यवाही के पश्चात घोषणा का अनुतोष दिया जाना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होना मानते हुये वादीगण का वाद खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में घीसा व हरफूल के द्वारा ही पैरवी किये जाने का कथन कत्तेई गलत अंकित किया है। बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रकरण में समस्त वादीगण न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित रहे है, वादी संख्या 5 लालचन्द पुत्र भूरा ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 25.02.2014 को प्रस्तुत किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण / वादीगण का वाद दिनांक 03.12.2014 को खारिज होने के पश्चात समस्त वादीगण ने रिव्यु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03. 2015 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसके साथ शपथ पत्र वादी संख्या 5 लालचन्द पुत्र भूरा का पेश हुआ है तथा रिव्यु प्रार्थना पत्र पर समस्त वादीगण के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण को रिव्यु प्रार्थना पत्र में कोई सफलता नही मिलने की उम्मीद होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही आये, जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 03.11.2022 को रिव्यु प्रार्थना पत्र को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज होने के लगभग 3 वर्ष पश्चात तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.12.2014 के लगभग 11 वर्ष के लम्बे अन्तराल पर उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में मियाद से माफी प्राप्त करने के अधिकारी अपीलार्थीगण नही है। अपीलार्थीगण का उक्त मद में वर्णित कथन कि रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 13.10. 2025 को कब्जा करने व विक्रय किये जाने की धमकी दिये जाने का कथन मनघडन्त अंकित किया है। अपीलार्थीगण ने उक्त मद में यह कहीं भी उसके पूर्व अभिभाषक का नाम अंकित नहीं किया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने सम्पूर्ण कथन केवल मात्र अपील को मियाद में लेने की गरज से असत्य अंकित किये है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध है जबकि उक्त निर्णय अपीलार्थीगण को सुना जाकर उनकी उपस्थिति में दिनांक 03.12.2014 को पारित किया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 उनवानी घासी बनाम बद्री प्रस्तुत की है जो दिनांक 03.11.2022 को

राजस्व अपील प्राधिकारी

खारिज हो गई है। विधि का यह सिद्वांत सुस्थापित है कि विधि जागरूक की रक्षा करती है ना कि सुसुप्त की। अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में एकीकरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में घोषणा का वाद पेश किया जबकि राजस्थान जोत (समेकन खण्डकरण निवारण) अधिनियम Rajasthan Holdings (consolidation and prevention of fragmentation) Act 1954 के आधार पर एकीकरण कार्यवाही समाप्ति के पश्चात एकीकरण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा के दावे से चुनौती नही दी जा सकती है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है। अत: प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम को ख़ारिज कर अपील मियाद बाहर धारित करते हुये ख़ारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस उद्धरित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की बखूबी जानकारी रही है, ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदया की विलम्ब नही माना जा सकता। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाना चाहते है जबकी उन्हें जानकारी के उपरान्त दिन-प्रतिदिन की देरी को स्पष्ट करना कानूनन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुत करने में हुये लम्बे विलम्ब को क्षमा करवाने के कानूनन अधिकारी नही रह जाते है। अत: अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर धारित कर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर